बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि ५ जून, १९७०

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि ५ जून १९७० को पूर्वाह्न ११ बजे सभापति, श्री राधानन्दन झा के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

(सदन में हल्ला श्री पूरनचंद बोलने के लिए खड़े हुए)

अध्यक्ष—शांति, शांति। आप बैठ जांय। मैं आपको समय देने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री नर्मदेश्वर सिंह आजाद—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने ध्यानाकर्षण-सूचना पढ़ने के लिए चार बार एक माननीय सदस्य का नाम पुकारा तो इसके लिए और कितनी देर प्रतीक्षा करनी है।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण : पलामू जिलान्तर्गत कुटकु बाँध योजना का कार्यान्वयन

श्री हेमेन्द्र प्रताप—मैं ध्यानाकर्षण-सूचना उपस्थित करता हूँ। पलामू जिला के कुटकु बाध योजना का कार्यारंभ होने वाला है। अभीतक के सर्वे से कुटकु बाँध से चया जिला की ४ लाख एकड़ और पलामू जिला की २५ हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी। कुटकु बाँध वाले स्थान स ७५ किलोमीटर नीचे नहर-निर्माण की योजना जा है वह पलामू की उत्तरी सीमा को छूती है। वर्त्तमान योजना मे संशोधन कर यदि

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—शांति, शांति। आपका १ मिनट समय और रह गया है।

श्री जगदीश ओझा—मैं अब बैठ रहा हूं।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—श्री लहटन चौधरी। जहांतक पर्सनल एक्सप्लीनेशन का सवाल है, मैंने इन्हें बोलने का समय दिया।

मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण।

*श्री लहटन चौधरी—जो सदन में बात उठायी गई है वह मेरे ऊपर आरोप था और उस आरोप में एक संस्था के साथ बातें मिलाते हुए करप्यूजन क्रीएट किया गया है।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद मेहता—मेरी एक नियमापत्ति है कि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का जो प्रश्न है, जिसके बारे में मेरे द्वारा और श्री अनूपलाल यादव के द्वारा प्रश्न उठाया गया है, उसमें माननीय मंत्री जो वक्तव्य देंगे उसमें यह देखेंगे कि वे व्यक्ति स्पष्टीकरण देते हैं या वह सार्वजनिक विषय से संबंधित है।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—शांति, शांति। मैं कार्य-संचालन नियमावली का नियम ३२ पढ़ देता हूं :—

३२-व्यक्तिगत स्पष्टीकरण—अध्यक्ष की अनुमति से कोई सदस्य किसी समय व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकेंगे, किन्तु ऐसा करने में वे कोई वाद-विवाद का विषय सामने नहीं लायेंगे और न ऐसे स्पष्टीकरण पर वाद-विवाद की अनुमति दी जायगी। जहां तक पर्सनल एक्सप्लानेशन का सवाल है, उस पर मैंने इनको समय दिया है। आप इनको बोलने दें अगर ये अपनी सीमा से बाहर जायेंगे तो आप कुछ कह सकते हैं।

श्री लहटन चौधरी—सभापति महोदय, दो माननीय सदस्यों द्वारा बजट-भाषण के सिलसिले में मुझ पर कुछ गम्भीर आरोप लगाए गए हैं और जो कुछ कहा गया गया है उसका अर्थ यह है कि मैंने सरकारी रुपयों का गोलमाल किया है। इस संबंध में भारत-सेवक-समाज के अधिकारी के नाते मेरे द्वारा निकाले गए सामूहिक-बचत-कोष के रुपए की चर्चा खास तौर पर की गई है।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद मेहता—जो आरोप माननीय मंत्री के ऊपर लाए गए हैं कि उन्होंने सरकारी रुपये का गोलमाल किया इतना ही काफी है। यह मामला जनसाधारण से संबंधित नहीं रहता तो कोई आपत्ति नहीं होती।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—आप इनका पहले दो मिनट सुन लीजिए। उसके बाद आपको कुछ कहना हो तो कहियेगा।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद मेहता—हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विधान-सभा को यह अधिकार हो कि उस पर वाद-विवाद करें। हमें इस बात का संदेह है कि यदि माननीय मन्त्री ऐसी बातें कहें जो सार्वजनिक विषय से सम्बन्धित है तो उस पर सदन मे वाद-विवाद होना चाहिये।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—शांति, शांति। ये अगर सीमा पार करेंगे तो आप बोल सकते हैं।

श्री लहटन चौधरी—सदन में ऐसा भ्रम उत्पन्न कराने की चेष्टा की गई है कि यह रुपया सरकार का था जिसे मैंने गलत ढंग से निकाल लिया और उसका दुरुपयोग किया। आप यह भी जानते हैं कि इस प्रकार की चर्चा इस सदन में यदा-कदा उठा दी जाती रही है और वस्तुस्थिति के स्पष्टीकरण के अभाव में एक गलत धारणा धीरे-धीरे घर करती जा रही है।

सदन में ऐसा भ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा की गयी है.....

श्री बैद्यनाथ प्रसाद मेहता—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब किसी माननीय सदस्य का गंभीर आरोप है किसी मन्त्री के बारे में और जिसको सदन में भी स्वीकार किया कि मन्त्री जिस समय उसमें थे तो बहुत गालमाल हुआ था.....

श्री लहटन चौधरी—यह सरासर गलत बात है।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद मेहता—अगर गलत बात है तो इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री राजमंगल मिश्र—मेरा एक प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद मेहता—पहले मेरे प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर को खतम होने दें तब आप बोलेंगे। तो, मेरा कहना है, सभापति महोदय, कि यह गंभीर आरोप है तथा उनको यदि बयान देने की अनुमति देंगे तो इसपर सदन को अधिकार है कि इस बयान पर डिसकशन हो।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—जहां तक माननीय मन्त्री श्री लहटन चौधरी के बयान का सवाल है, उनको बोलने दिया जाय। यदि बात-बात में इन्टरप्ट करेंगे तो सदन कैसे चलेगा।

श्री वैद्यनाथ प्रसाद मेहता—मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कुछ मैंने कहा है वह गलत हो तो उसको प्रिविलेज कामटी में भेज दें। लेकिन जिस तरह से मन्त्री होकर उन्होंने ऐसा काम किया है और वह गंभीर है तो उस पर स्वयं मन्त्री सदन में बयान दें, यह कहां तक जायज है ?

श्री शीतल प्रसाद गुप्त—सभापति महोदय, यह दुःख की बात है कि कोई माननीय सदस्य किसी मन्त्री पर चार्ज लावें और जब वह अपना बयान देना चाहें तो वे उसको सुनने को तैयार नहीं हों।

श्री वैद्यनाथ प्रसाद मेहता—मैंने जो कुछ कहा था उसका जवाब मुख्य मंत्री को देना चाहिए था।

श्री शीतल प्रसाद गुप्त—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब आपने उनको एलाउ कर दिया पढ़ने के लिए तो आपका निर्णय अन्तिम होना चाहिए। अतः इसपर माननीय सदस्य को अब बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। माननीय मन्त्री की सारी बातों को पहले वह सुन लें।

श्री जनार्दन तिवारी—सभापति महोदय, आपने जो अनुमति दी उसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं। एक माननीय सदस्य ने मन्त्री पर प्रश्न उठाया तो उसी मन्त्री को बयान नहीं देना चाहिए।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—जरा नियम ३२ देख लें जो विधान-सभा नियमावली का है। अध्यक्ष की अनुमति से कोई सदस्य किसी समय अपना बयान दे सकता है।

श्री लहटन चौधरी—मुझे इस बात पर दुःख है कि लोग आरोप लगाकर इतना धैर्य भी नहीं रखना चाहते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव—नियम ३२ को देखने के बाद पता चलता है कि कोई सदस्य अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है। लेकिन किसी मन्त्री पर यदि कोई इल्जाम हो...

(सदन में काफी शोर-गुल, माननीय सदस्य ने और क्या कहा हल्ला में स्पष्ट सुनाई नहीं दिया।)

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री सुख नारायण सिंह—मेरा कहना है कि मन्त्री लिखित बयान पढ़ रहे हैं। तो इस लिखित बयान का, सभापति महोदय, आप पहले देख लें और उसके बाद जिस-जिस अंश का आप एप्रूव करें उस-उस अंश को यहां वे पढ़ें।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—माननीय मन्त्री जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं उसे आपलोग धैर्य पूर्वक सुनें।

(श्री लहटन चौधरी बोलने के लिए खड़े हुए।)

(इस अवसर पर बहुत से सदस्य भी बोलने के लिये खड़े हो गए)

कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार सदन में आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन अभी जो माननीय मन्त्री स्पष्टीकरण दे रहे हैं उसे सुनें। अगर माननीय मन्त्री नियम-सीमा से बाहर बोलेंगे तो मैं उसे नहीं रखूंगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव—नियम ३४ के अनुसार लिखित स्पष्टीकरण नहीं पढ़ सकते हैं।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री शकूर अहमद—परम्परा यही रही है कि कोई भी स्पष्टीकरण अगर कोई देना चाहें तो उसकी एक प्रति वे माननीय अध्यक्ष को दें और उनके परमीशन के बाद ही वे अपना स्पष्टीकरण सदन में दें।

पर्सनल एक्सप्लानेशन देते हुए हो सकता है कि कोई सदस्य दूसरे पर आक्षेप कर दें, इसलिए मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय इसको पढ़ लें।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह किसी रूल के आधार पर उठाया है ?

श्री जनार्दन तिवारी—हुजूर, कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३३ में खंड ३ देखा जाय····

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—आप जिसको रेफर कर रहे हैं यह वाद-विवाद के संबंध में हैं। शकुर साहब का यह सुझाव हो सकता है, लेकिन चूंकि उन्होंने सवाल उठाया इसलिए मैंने पूछा कि इसको रूल से सरोकार है या नहीं।

श्री शकुर अहमद—हम इतना ही जानते हैं कि मिनिस्टर एक्सप्लानेशन देते हैं, लेकिन इसके लिए अनुमति होनी चाहिए।

श्री सुखदेव नारायण सिंह—सभापति महोदय, सदन में कोई चीज भी पेश की जाती है तो अध्यक्ष की स्वीकृति से की जाती है। इसलिए आप इसकी कॉपी मंगाकर पहले पढ़ लें तब इसके पढ़ने की इजाजत दें।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—आप उन्हें बोलने दें। यदि वे इसकी सीमा को पार करेंगे तो मैं टोकूंगा।

श्री लहटन चौधरी—सदन में ऐसा भ्रम उत्पन्न कराने की चेष्टा की गई है कि यह रुपया सरकार का था जिसे मैंने गलत ढंग पर निकाल लिया और उसका दुरुपयोग किया···

श्री कौशलेन्द्र नारायण सिंह—शकूर साहब से आपने जो सवाल उठाया है वह रूल में आता है या नहीं। तो यह एक साधारण सी बात है कि रूल लॉ या कंस्टिच्यूशन अप्लाई किया जायगा तो उसका विवेक अलग करके नहीं किया जायगा। जिस समय श्री वैद्यनाथ मेहता या दूसरे सदस्य ने बातें उठायी उस समय नदी-घाटी योजना पर वाद-विवाद हो रहा था।

श्री लहटन चौधरी—नहीं, नहीं हो रहा था।

श्री कौशलेन्द्र नारायण सिंह—मैं कह रहा हूं कि जिस समय उन्होंने मांग रखी और फिर सारे डिबेट का जवाब दिया तो उनके पास काफी समय था कि वे अपनी सफाई पेश करते। इसीलिए तो सफाई की प्रक्रिया रखी गई है। तो उनके पास काफी अवसर था जिसका वे उपयोग किए होते तो ठीक था। जब ऐसा उन्होंने नहीं किया तो फिर आज इस वक्त वे इतना उतावले क्यों हैं कि आज ही जवाब हो जाय। अध्यक्ष महोदय इसे देख लें और इसपर विचार कर लें तब इसे पढ़ा जाय। सदन आज ही समाप्त तो नहीं हो रहा है।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मात्र सुझाव है। उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि आप हमको बोलने दीजिए और हमने बोलने का मौका दिया, लेकिन यह भी कहा कि अगर बोलने के समय वे सीमा के पार जायेंगे तो मैं उस पोशन को कायवाही से निकाल दूंगा।

श्री लहटन चौधरी—बार-बार तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है।

श्री वैद्यनाथ प्रसाद मेहता—अध्यक्ष अगर नियम के विपरीत काम करेंगे तो हमलोग जरूर रोकेंगे। हमको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप इसके लिए एक समय निर्धारित कर दें और उसी समय वे अपना लिखित वक्तव्य दें।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—नियम ३२ में तीन भाग है। पहला भाग यह है कि अध्यक्ष की अनुमति से कोई सदस्य किसी समय व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकेंगे, दूसरा भाग है, किन्तु ऐसा करने में वे कोई वाद-विवाद का विषय सामने नहीं लायगे और तीसरा है कि 'न ऐसे स्पष्टीकरण पर वाद-विवाद की अनुमति दी जायगी।' तो जब उन्होंने बोलने के लिए मौका मांगा है तो नियम के अनुसार उनको बोलने का मौका दें। यह वाद-विवाद का विषय नहीं है, इसलिए उनको बोलने का मौका दिया जाय।

श्री चतुर्भुज प्रसाद सिंह—मेरा एक प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य बारबार व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं और सभापति महोदय उसपर अपना निर्णय देते हैं। इसके बावजूद अगर माननीय सदस्य बोलते रहें तो इस स्थिति में क्या किया जाय।

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को मानता हूं। माननीय मन्त्री अपना वक्तव्य दें।

श्री लहटन चौधरी—तो, मैं कह रहा था कि सदन में ऐसा भ्रम उत्पन्न कराने की चेष्टा की गई है कि यह रुपया सरकार का था, जिसे मैंने गलत ढंग पर निकाल लिया और उसका दुरूपयोग किया।

श्री श्रीकृष्ण सिंह—सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि माननीय मन्त्री जो लिखित वक्तव्य दे रहे हैं वह व्यवस्थित नहीं है। नियम के बावजूद माननीय मन्त्री अपना वक्तव्य पढ़ते चले जा रहे हैं। यह सवाल उठाया गया है कि जब उनको मौका था तो उस मौके को उन्होंने खो दिया। बदी-घाटी योजना की मांग पर उनको कहने का मौका था, लेकिन उन्होंने उस मौके को खो दिया और मुख्य मन्त्री ने उस समय जवाब दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह वादविवाद का विषय बन सकता है। अधिक-से-अधिक यही हो सकता है कि दो-चार आरोप जो लगाये गए हैं उनके बारे में उनको कहने का मौका दिया जाय। सारी बातों का प्रतिपादन करना ठीक नहीं है। अभी एक-एक विषय वाद-विवाद का विषय बनता जा रहा है। हम यह चाहते हैं कि आप अपनी रूलिंग में संशोधन करें। आप नियम को देख लें और जो वाजिब समझें वह करें। बोलने के समय वे किसी चीज को कोट कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जायगा तो सदन की परम्परा खतम हो जायगी और एक नयी परम्परा चल जायगी।

श्री रमेश झा—सभापति महोदय, इस सदन की जो परम्परा रही है उसको याद दिलाना चाहता हूं। माननीय सुधांशु जी जब इस सदन के अध्यक्ष थे तो उस समय इस तरह का विवाद उठ खड़ा हुआ था। उस समय उन्होंने आदेश दिया था कि पर्सनल एक्सप्लानेशन पढ़ा जा सकता है। इसी आदेश के अनुसार श्री परमेश्वर कुअर ने अपना लिखित पर्सनल एक्सप्लानेशन दिया था और मैंने भी अपना पर्सनल एक्सप्लानेशन लिखित रूप में दिया था। इसलिए माननीय मंत्री को अपना पर्सनल एक्सप्लानेशन देने और पढ़ने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यह इस सदन की परम्परा रही है। उनको पढ़ने का अवसर दिया जाय।

श्री जनार्दन तिवारी—माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि इन पर कोई चार्ज नहीं है तो यह प्रश्न कैसे उठता है कि इनके ऊपर चार्ज है।

श्री विद्याकर कवि—एक बात हो तो यह मामला खत्म हो सकता है। माननीय श्रीकृष्ण सिंह यह कहे हैं कि यह बात बिलकुल निराधार है और उस तरफ के सदस्य मान जांय तो चौधरी जी को पर्सनल एक्सप्लानेशन देने की जरूरत नहीं है।

श्री लहटन चौधरी—सभापति महोदय, भारत-सेवक-समाज प्रायः स्थानीय ग्रामपंचायतों और सहयोग समितियों के माध्यम से काम करवाया करता था। पंचायतों और सहयोग समितियों के काम कराने वाले सज्जन यूनिट-लीडर के नाम से पुकारे जाते थे। ये यूनिट-लीडर प्रोजेक्ट के साथ इकरारनामा बनाते थे, काम कराते थे और रूपये उठाते थे। जितने रुपये का बिल बनता था उसका ९० प्रतिशत यूनिट-लीडर मजदूरों का भुगतान के लिए प्राप्त कर लेते थे और दस प्रतिशत प्रोजेक्ट के पास जमा छोड़ देते थे। यही दस प्रतिशत भारत-सेवक-समाज के संगठन का खर्च तथा उसके द्वारा किये जानेवाले सार्वजनिक कार्यों के निमित्त छोड़ा जाता था। सार्वजनिक-कार्य के लिए जमा रखे गये कोष का नाम भारत-सेवक-समाज ने सामूहिक-बचत-कोष अथवा कम्यूनिटी-सेविंग्स रखा था।

जो इकरारनामा होता था उसका एक अंश मैं आपके के सामने रख देना चाहता हूं जो अंग्रेजी में है :—

"90% of the value of the worke executed will only be paide to the unit leader and the balance of the value of the work done will be deemed to have been surrendered to the Government.

The latter amount will be kept in deposit with the Government and will be spent by the Bharat Sewak Samaj on their organisational and community development works at their diseretion. The unit leaders shall not lay any claim to the amount kept in deposit and shall not be untitled to raise any objection whatsoever as to the manner of its deposit."

आप सोच सकते हैं कि जिस पैसे के लिए इतना हंगामा किया गया है यह सरकार का पैसा नहीं था। कहा जा रहा है कि सरकार का पैसा उठा लिया गया, इसकी जांच की जाये। मैंने उसी दिन कह दिया था कि बिना समझे बूझे हंगामा किया जाता है। यह भारत-सेवक-समाज का पैसा है और इस पर सरकार का जरा भी अधिकार नहीं है।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद मेहता—पंडित विनोदानन्द झा ने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री लहटन चौधरी—भारत-सेवक-समाज का एकाउन्ट है और उस एकाउन्ट को वह चारटर्ड एकाउन्टट से जांच करवाता है। यह बात उठाई जाती है कि भारत-सेवक-समाज के पैसे की जांच सरकार के ऑडिटर से क्यों नहीं होती है। मैं समझता हूं कि गलत बात है और इस पैसे की जांच करवाने का अधिकार सरकार को नहीं है। अगर सरकार इस पैसे पर हस्तक्षेप करेगी तो यह गलत बात होगी। यहां एक संस्था पर हस्तक्षेप की बात होगी। इसलिए सभापति महोदय, मैंने बतलाया कि इस पैसे पर सरकार को किसी तरह का अधिकार नहीं है।

(सदन में जोरों से हल्ला)

सभापति (श्री राधानन्दन झा)—शान्ति, शान्ति।

श्री शमशेर जंगबहादुर सिंह—सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री केदार पांडे—मैं नियम समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं.....

सभापति (राधानन्दन झा)—व्यवस्था के प्रश्न वाले माननीय सदस्य बैठ जायें। पहले नियम समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने दें।

बिहार विधान सभा की नियम समिति के पंचम प्रतिवेदन, १९७० का सभा पटल पर रखा जाना

श्री केदार पांडे—मैं बिहार विधान-सभा के नियम समिति के पंचम प्रतिवेदन १९७० को सभा के पटल पर रखता हूं।

(सभा के पटल पर रखा गया)